तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र०सं० - 113/20	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	03.12.2020 वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 23.12.2020 को पैश हो। [signature] 23/12/20 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित. P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे / अभियान में पधारे अवकाश पर है। अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 12/3/21 को पेश हो। [initials] 12/2/21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित. P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे / अभियान में पधारे अवकाश पर है। अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 5/5/21 को पेश हो। [initials] P.O. [illegible] [illegible] जाने से 5/5/21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित. P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे / अभियान में पधारे अवकाश पर है। अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 5/8/21 को पेश हो। [initials] कोविड -19 5/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगणों के विरुद्ध बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये जाते [illegible] पत्रावली वास्ते बहस एकपक्षीय [illegible] को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28.10.2021 पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम डोहरिया में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां की और से पैरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता ने प्रस्तुतशुदा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर एकपक्षीय बहस के तौर पर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम डोहरिया पटवार हल्का डोहरिया भू0अ0निरीक्षक कनेछनकलां तह. फुलियाकलां जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 49 के आराजी सख्यां 439, 477 कुल किता 02 कुल रकबा 1.41 हैक्ट. एवं खतौनी संख्या 51 के आराजी संख्या 438 रकबा 0.05 हैक्टयर भूमि विपक्षी संख्या 01 यानि वादीगण के दादा श्री कन्हैयालाल तेली के नाम पर हक हिस्से अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने विवादित आराजियात को पुश्तेनी/पैत्रक होने का कथन रखते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजीयात में प्रथम श्रेणी की वारिसान है, जिस पर हम अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किन्तु प्रार्थीगण के हक आधिपत्य में आ रही आराजीयात को विपक्षी संख्या 01 बैचान कर हस्तान्तरित करने एंव प्रार्थीगण को पुश्तेनी जायदाद से महरूम करने पर आमादा है। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण की पैत्रक आराजीयात को विपक्षी संख्या 01 बैचान करने एंव प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा Signature Not Verified Digitally signed by Rajkesh Meena Date: 2021.12.21 11:46:37 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी फुलिया कलां (भील.) ---लगातार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादग्रस्त आराजीयात का अन्तरण/बेचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः ग्राम डोहरिया पटवार हल्का डोहरिया भू0अ0निरीक्षक कनेछनकलां तह. फुलियाकलां जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 49 के आराजी सख्यां 439, 477 कुल किता 02 कुल रकबा 1.41 हैक्ट. एवं खतौनी संख्या 51 के आराजी संख्या 438 रकबा 0.05 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण के हक हिस्से की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण संख्या 01 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। सहायक कलेक्टर व उप खण्ड अधिकारी फुलिया कलां (भील.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested